न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	20/2021	29.09.2021	19/25 (2025/19)	15.01.2025	17.10.2025	1 लगायत 3
2	17/2023	12.09.2023				

1. अजय दत्तक पुत्र बृजमोहन जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास। –अपीलान्ट

बनाम

1.. सीता पुत्री बृजमोहन पत्नी प्रेमराज जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास हाल निवासी राजकीय उच्च प्राथमिक विघालय के पीछे , बास लक्ष्मीपुरा , पोस्ट खेडला खुर्द तहसील लालसोट।

2. मुक्ति पुत्री बृजमोहन पत्नी रामलाल जाति बैरवा निवासी पट्टीकलां तहसील बामनवास। – मृतक

2/1 गुन्जन पुत्री रामलाल उम्र 5 वर्ष जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।

2/2 काजल पुत्री रामलाल उम्र 10 वर्ष जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।

2/3 रामलाल पुत्र गुलाब पति मुक्ति जाति बैरवा नाबालिग जरिए संरक्षक पिता रामलाल ग्राम खानपुर तहसील लालसोट।

3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास।

–रेस्पोडेन्डगण

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री महेश चन्द्र अग्रवाल ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

1. यह अपील तहसीलदार बामनवास द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 1214 दिनांक 11.08.2021 वाके ग्राम बामनवास पट्टीकलां बी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 द्वारा बामनवास पट्टीलां में स्थित कृषि भूमि खसरा सख्या 5011 रकबा 0.23 है0, खं0नं0 5554 रकबा 0.14 है0, खं0नं0 5558 रकबा 0.05 है0, खं0नं0 5559 रकबा 0.05 है0, खं0नं0 5560 रकबा 0.04 है0, खं0नं0 5561 रकबा 0.02 है0, 4493 रकबा 0.23 [illegible] 0 4494 रकबा 0.29 है0, खं0नं0 4495 रकबा 0.31 है0, खं0नं0 3285 रकबा 2.35 [illegible] खं0नं0 3286 रकबा 1.79 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अनिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

2. ख0नं0 3287/7842 रकबा 1.25 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 6.75 है0 बारानी ए का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया था । उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2/1, 2/2, 2/3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2/1, 2/2, 2/3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई तथा अभिभाषक अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि ग्राम बामनवास पट्टीकलां बी में आराजीयात खसरा नम्बर 5011 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 5554 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 5558 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 5559 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 5560 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 5561 रकबा 0.02 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.53है0 व खसरा नम्बर 4493 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 4494 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 4495 रकबा 0.31 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.83 है0 व ख0नं0 3285 रकबा 2.35 है0, ख0नं0 3286 रकबा 1.79 है0, ख0नं0 3287/7842 रकबा 1.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.39 है0 स्थित है। जोकि बृजमोहन अपीलान्ट के दत्तक पुत्र रहे है के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि रही है। अपीलान्ट को विधि विधान के अनुसार स्व0 बृजमोहन उसकी पत्नी कंचन ने रस्मोरिवाज बिरादरी के अनुसार दिनांक 26.11.2005 को गोद ले लिया और उस पर रेस्पोडेन्ट की भी सहमति रही है। तभी से अपीलान्ट बृजमोहन का वारिस हो गया व उसकी चल व अचल सम्पत्ति पर काबिज है। रेस्पोण्डेण्ट नम्बर 1 व 2 उसकी बहने है। जोकि बृजमोहन की पुत्रियां है। उक्त विरासत का नामान्तकरण गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने करा लिया जबकि दोनों बहनों का 1/3–1/3 हिस्सा है व 1/3 हिस्सा अपीलान्ट अजय का है। इस प्रकार नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 पूर्ण रूपेण गलत है , जिसे निरस्त किया जावे। अपीलान्ट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि उक्त नामन्तकरण की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 23.09.2021 को पटवारी हल्का के कहने पर हुई। जब वह बैक की फाइल बनवाने के सिलसिले में बात करने गया, साथ ही अभिभाषक अपीलार्थी ने नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्टीकलां बी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 मंसूख फरमायी जाकर अपीलाण्ट का 1/3 व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नं0 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

5. अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्टीकलां बी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 मंसूख फरमायी जाकर अपीलाण्ट का 1/3 व रेस्पोडेन्ट नं0 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नं0 2 का 1/3 हिस्सा दर्ज फरमाने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0सं0 19/2025 अजय बनाम सीता वगै0

6. हमने पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण कर आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। तहसीलदार बामनवास द्वारा हस्तगत प्रकरण में नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 बामनवास पट्‌टीकलां बी आदेश तहसीलदार 31.08.2021 तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज गोद–पत्र दिनांक 26.11.2005 की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बामनवास द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत गोद–पत्र दिनांक 26.11.2005 का अवलोकन नहीं करना पाया गया है, जो कि अधिनस्थ न्यायालय की त्रुटि होना जाहिर करता है, साथ ही अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण का अवलोकन किया गया । उक्त नामान्तकरण के अनुसार उक्त वाद आराजीयात दी सेंट्रल कोपरेटिव बैक लिमिटेड शाखा बामनवास के नाम रहन दर्ज है। लेकिन विद्वान अभिभाषक द्वारा दी सेंट्रल कोपरेटिव बैक लिमिटेड शाखा बामनवास को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो एक अहम पक्षकार है।

7. अतः नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 निरस्त करके इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रथम पंजीयन गोदनामा के आधार पर आवेदक स्वयं के खर्चे पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में दत्तक नाम दर्ज होने है तथा उक्त समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू–राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में आपत्ति अप्राप्त होने पर तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध पाया जाता है। उस दशा में पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त करने से पूर्व जो रेस्पोडेन्ट के हिस्से की शेष भूमि है, 1/3, 1/3 को संबंधित बैक में रहन का नामान्तकरण को बदस्तुर रखते हुए अपीलान्ट के हक में 1/3 हिस्से तक का नामान्तकरण खोला जा सकेगा। यदि दत्तक नामान्तकरण प्राप्त आपत्ति उपरान्त विधि अनुरूप/वैध नहीं पाया जाये तथा यदि किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिफल आदेश प्राप्त होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 1214 दिनांक 11.08.2021 को यथावत रखेगा।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.11.19 18:14:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी